

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)


नाथू पिता मांगीलाल धाकड नि. गन्धेर

बनाम

सूरतराम पिता लादू रेगर नि. गन्धेर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 679/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
22.06.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम गन्धेर प. ह. गन्धेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1499 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, आ. न. 2710/1835 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आ. न. 2711/1836 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आ. न. 2034 रकबा 0.0162 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्मत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम गन्धेर प. ह. गन्धेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1499 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, आ. न. 2710/1835 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आ. न. 2711/1836 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आ. न. 2034 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कि पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)